सांस्कृतिक विरासत

प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक मानक 8 (ईएसएस 8)*

प्रस्तावित ईएसएस 8 किस बारे में है?

सांस्कृतिक विरासत अतीत और भविष्य के बीच एक मूल्यवान, अपूरणीय सामुदायिक संबंध है, और लोगों की पहचान और अभ्यास का एक अभिन्न अंग है। ठोस और अस्पृश्य सांस्कृतिक विरासत आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति और मूल्यवान वैज्ञानिक और ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं। प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक मानक 8 (ईएसएस8) 2009 की सुरक्षा नीति विक्तव्य (एसपीएस) आवश्यकताओं पर आधारित है और इसमें ठोस और अस्पृश्य सांस्कृतिक विरासत दोनों को शामिल करने का दायरा बढ़ाया गया है, जिन्हें परियोजना गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाया जाना है और समान साझाकरण को बढ़ावा देना है। सांस्कृतिक विरासत के उपयोग से. मानक सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना चाहता है और सतत विकास के प्रवर्तक के रूप में इसके व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

* ईएसएस8 का पूरा पाठ सुरक्षा नीति समीक्षा: मसौदा नीति| एशियाई विकास बैंक (adb.org). https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy पर है। यह सूचना विवरणिका प्रस्तावित पर्यावरण और सामाजिक रूपरेखा (ईएसएफ) संबंधी परामर्श मसौदे के आधार पर केवल सूचनार्थ तैयार की गई थी। Q4 2023 में निर्धारित वर्किंग पेपर के हिस्से के रूप में प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक रूपरेखा (ईएसएफ) के पूर्ण पाठ पर एडीबी निदेशक मंडल से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। अंतिम ईएसएफ पर 2024 में एडीबी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।

SAFEGUARD POLICY REVIEW AND UPDATE

ADB

इसके उद्देश्य हैं:

- सांस्कृतिक विरासत को परियोजना गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना, और इसके संरक्षण का समर्थन करना;
- सांस्कृतिक विरासत संरक्षण को सतत विकास के एक अभिन्न पहलू के रूप में संबोधित करना;
- सांस्कृतिक विरासत पर प्रतिकूल प्रभावों से बचने और उन्हें कम करने के लिए शमन पदानुक्रम लागू करें;
- सांस्कृतिक विरासत के संबंध में हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श को बढ़ावा देना; और
- सांस्कृतिक विरासत के उपयोग से होने वाले लाभों के समान बंटवारे को बढ़ावा देना।

नये और बेहतर नीति प्रावधान क्या हैं?

1

अस्पृश्य सांस्कृतिक संसाधन और दृश्य प्रभाव

: प्रस्तावित मानक में ठोस और अस्पृश्य सांस्कृतिक विरासत दोनों के प्रत्यक्ष और संचयी परियोजना विशिष्ट जोखिमों और प्रभावों को प्रबंधित करने की आवश्यकताएं शामिल हैं।

2

स्वदेशीजन

क्षेत्रों और सांस्कृतिक विरासत की अतिव्यापी उपस्थिति वाले क्षेत्रों के लिए अपेक्षाओं का उल्लेख है, जो पहले एसपीएस में शामिल नहीं थे। यदि आईपी क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत की पहचान की जाती है, तो ईएसएस 7 की अपेक्षा के अनुसार स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी) प्राप्त करना अपेक्षित हो सकता है।

3

विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विरासत

मौका खोजने की प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं, और पुरातात्विक स्थलों और सामग्री, पानी के नीचे की सांस्कृतिक विरासत, दफन स्थलों और मानव अवशेषों, परिदृश्य या प्राकृतिक संसाधनों, निर्मित स्थलों और चल सांस्कृतिक विरासत जैसी विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विरासतों के लिए विशिष्ट अपेक्षाओं का उल्लेख है।

4

हितधारक सहभागिता

सांस्कृतिक विरासत, उसके महत्व की पहचान करने, जोखिमों और प्रभावों का आकलन करने, बचाव, शमन और निगरानी और रिपोर्टिंग विकल्पों के तरीकों का पता लगाने के लिए सार्थक परामर्श करना।

ASIAN DEVELOPMENT BANK
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO)
© 2023 ADB. The CC license does not apply to non-ADB copyright materials in this publication.
https://www.adb.org/terms-use#openaccess http://www.adb.org/publications/corrigenda Publication Stock No. ARMXXXXXX-X

Printed on recycled paper